राजस्थान सरकार
निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर
डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान.
dirminority@gmail.com दूरभाष न.:0141–2711978, 2711938

क्रमांकः प. 111/नि.अ.मा.वि./अनु. छात्रा./सत्र 2018–19 पार्ट 1/ जयपुर, दिनांकः

आदेश

अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2018–19 के लिए अल्पसंख्यक छात्र व छात्राओं के लिये स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से अनुदानित अल्पसंख्यक छात्रावासों के संचालन हेतु अधोलिखित संस्थाओं को प्रथमतः तीन माह हेतु अस्थाई सशर्त अभिवृद्धि प्रदान की गई थी। उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से प्राप्त अभिशंषा तथा जिला कार्यालयों द्वारा किये गये निरीक्षणों के आधार पर निदेशालय के समसंख्यक आदेश 10407–38 दिनांक 26.06.2018 के अतिक्रमण में अधोलिखित संस्थाओं को निम्नवत् जिला मुख्यालयों/अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक्स में उनके सम्मुख अंकित स्वयंसेवी संस्थाओं को अल्पसंख्यक बालक/बालिका छात्रावास संचालन की सत्र 2018–19 की अवधि हेतु अस्थाई अभिवृद्धि (शेष सत्र 15 मई, 2019 तक) की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

अनुदानित अल्पसंख्यक बालक छात्रावास			
क्र.सं.	जिला मुख्यालय /अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक का नाम	स्वयं सेवी संस्था का नाम	छात्रावास का प्रकार एवं छात्रावास की स्वीकृत क्षमता
बाड़मेर			
1	मुख्यालय बाड़मेर	सिन्धी मुस्लिम हॉस्टल सोसायटी, एन.एच. 15, कृषि मण्डी रोड़, बाड़मेर	बालक (50 सीट)
सवाईमाधोपुर			
2	मुख्यालय सवाईमाधोपुर	ज्योति आदर्श विद्या शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, सवाईमाधोपुर, 10 मीना कॉलोनी, सवाईमाधोपुर	बालक (50 सीट)

अनुदानित अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास			
क्र.सं.	जिला मुख्यालय /अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक का नाम	स्वयं सेवी संस्था का नाम	छात्रावास का प्रकार एवं छात्रावास की स्वीकृत क्षमता
नागौर			
1	मुख्यालय नागौर	स्टार यूथ कल्चरल सोसाईटी, प्रभाकर भारतीय भवन, नियर एम.डी.एच., नागौर	बालिका (40 सीट)
श्रीगंगानगर			
2	ब्लॉक अनूपगढ़	श्री गुरुनानक पब्लिक शिक्षा समिति, 88 जी.बी., अनूपगढ़	बालिका (39 सीट)
टोंक			
3	मुख्यालय टोंक	प्रेरणा एजूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी, रोजगार कार्यालय के पास, सुभाष बाजार, टोंक	बालिका (50 सीट)

कृ.प.उ.

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग की छात्रावास नियमावली एवं छात्रावास योजना से संबंधित आदिनांक तक जारी दिशा–निर्देश एवं परिपत्रों के अन्तर्गत उक्त आदेश की पालना में संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं चयनित स्वयंसेवी संस्था के द्वारा निम्नांकित कार्य भी सम्पन्न करने होंगे:–

1. चयनित स्वयंसेवी संस्था को संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में रुपये 500.00 के नॉन–ज्यूडीशियल स्टाम्प पर संलग्न प्रारूप में अनुबंध (MoU) अविलम्ब प्रस्तुत करना होगा।

2. चयनित स्वयंसेवी संस्था को अनुबंध (MoU) हस्ताक्षरित करने के साथ–साथ ही धरोहर राशि के रूप में रूपये 11000.00 का बैंक ड्रॉफ्ट/डिमान्ड ड्रॉफ्ट संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के नाम से जारी करवाकर उनके कार्यालय में जमा करवाया जाना आवश्यक होगा।

3. चयनित स्वयंसेवी संस्था (प्रथम पक्ष) को राज्य सरकार की स्वीकृत दरों एवं अल्पसंख्यक मामलात विभाग की छात्रावास नियमावली के अनुसार संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी (द्वितीय पक्ष) से अनुबंध करना आवश्यक होगा और अनुबंध की शर्तों की पालना करने/कराने का उत्तर दायित्व संबंधित दोनो पक्षों का होगा।

4. स्वीकृत अनुदानित छात्रावास में अल्पसंख्यक छात्रों को प्रवेश छात्रावास नियमावली/आदेश के तहत जिला प्रवेश समिति की अभिशंषा के आधार पर ही दिया जाना आवश्यक होगा। जिला प्रवेश समिति की अभिशंषा के पश्चात् अनुमोदित सूची संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा संस्था को कार्यालय प्रक्रिया के तहत उपलब्ध कराई जावे, जिसके आधार पर ही संबंधित संस्था प्रवेशार्थियों को छात्रावास में रख सकेगी।

5. अनुबंध (MoU) पर संबंधित पक्षों के हस्ताक्षर उपरान्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं चयनित स्वयंसेवी संस्था द्वारा अनुदानित अल्पसंख्यक छात्रावास का संचालन विभागीय छात्रावास नियमावली के तहत निर्धारित की गयी प्रक्रिया के अनुसार निश्चित समय पर प्रारम्भ करने का सम्मिलित दायित्व होगा।

6. चयनित स्वयंसेवी संस्था को विभाग की छात्रावास नियमावली के तहत छात्रावास संचालन से संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के निर्देशन में समस्त निर्धारित रिकार्ड का संधारण करना अनिवार्य होगा।

7. अल्पसंख्यक मामलात् विभाग द्वारा समय–समय पर छात्रावास से संबंधित जारी किये जाने वाले दिशा–निर्देशों का भी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के निर्देशन में छात्रावास संचालक संस्था को पालना करनी आवश्यक होगी।

8. उक्त उल्लेखित अनुदानित अल्पसंख्यक बालक–बालिका छात्रावासों के लिये अभिवृद्धि शैक्षणिक सत्र 2018–19 के लिये ही प्रभावी रहेंगी।

ह०
(नीलिमा तक्षक)
अतिरिक्त निदेशक

क्रमांकः प. 111/नि.अ.मा.वि./अनु. छात्रा./सत्र 2018–19 पार्ट 1/26720–45 जयपुर, दिनांकः 22/2/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, कार्यालय प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, बाड़मेर/नागौर/श्रीगंगानगर/सवाईमाधोपुर/टोंक को सूचनार्थ।
4. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बाड़मेर/नागौर/श्रीगंगानगर/सवाईमाधोपुर/टोंक को पालनार्थ।
5. चयनित स्वयंसेवी संस्था———————————————— को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखा शाखा, कार्यालय हाजा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. सूचना सहायक को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

22.2.19
अतिरिक्त निदेशक